निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 कार्तिक 1933 (श0)

(सं0 पटना 656) पटना, वृहस्पतिवार, 17 नवम्बर 2011

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

4 अगस्त 2011

सं0 22/नि0सि0(पू0)–01–04/2006/967—बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, कटिहार अन्तर्गत अमदाबाद प्रखण्ड के रौशना से गोविन्दपुर तक (लाभा चौकिया पहाड़पुर महानन्दा दायॉ तटबंध) पक्की सड़क निर्माण में बरती गई अनियमितताओं की जॉच विभागीय उड़नदस्ता से कराई गई। उड़नदस्ता से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई एवं प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लेते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक 1267, दिनांक 11 दिसम्बर 2006 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री राम प्रसाद राम मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध निम्न आरोप गठित किये गयेः–

(i) रौशना से गोविन्दपुर पक्की सड़क निर्माण हेतु प्राक्कलन की स्वीकृति आपके द्वारा दी गई है। उक्त स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा में कार्य मदों की कुल सं0 18 है। स्वीकृत प्राक्कलन एवं एकरारनामा का दम सं0 14 (iii) एवं 14(iv) अतिरिक्त रूप में संदेहास्पद स्वीकृत है इन मदों को वगैर जॉच पड़ताल किये ही प्राक्कलन में शामिल कर लिया गया हैं। स्पष्ट है कि मद सं0–14(iii) में रु0 33,12,104.98 की अतिरिक्त मद के रूप में आपके द्वारा गलत स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) उक्त पक्का रोड निर्माण में कराये जाने वाले मिट्टी कार्य के प्री लेवेल की जॉच असम्बद्व पदाधिकारी की टीम द्वारा नहीं कराया गया है। चूँकि इस कार्य की लागत लगभग तीन करोड़ है, अतः इसके प्री लेवेल की जॉच असम्बद्ध पदाधिकारी की टीम गठित कर कराया जाना चाहिए था, जो आपके द्वारा नहीं कराया गया है।

(3) कार्य की एकरारित राशि लगभग तीन करोड़ है। विभागीय निदेश के आलोक में एक करोड़ से उपर की कार्य की गुणवत्ता जॉच खगौल संस्थान, पटना द्वारा किया जाना है। परन्तु आपके द्वारा कार्य की गुणवत्ता की जॉच खगौल संस्थान, पटना से कराने की दिशा में कोई ठोस कारवाई नहीं किया गया हैं।

(ii) विभागीय कार्यवाही में जॉच पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है, जबकि विभागीय परिपत्र के आलोक में एक करोड़ रुपयों से अधिक राशि के कार्यो की जॉच खगौल संस्थान, पटना से कराये जाने का विभागीय निदेश है, जिसकी चर्चा आरोप सं0 (iii) में है। संचालन पदाधिकारी द्वारा इसकी चर्चा जॉच प्रतिवेदन में न करते हुए अन्य विभागीय परिपत्र का उल्लेख किया गया है। अतः

श्री राम, मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध कार्य की गुणवत्ता की जॉच हेतु नियम संगत कारवाई नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया।

(iii) इसी बीच श्री राम मुख्य अभियन्ता विभागीय कार्यवाही के क्रम में ही दिनांक 30 जून 2009 को सेवा–निवृत्त हो गये। अतः मामले के समीक्षोपरान्त इनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली 43 बी0 में परिवर्तित करने एवं विभागीय कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लेते हुए उपर अंकित प्रमाणित आरोपों के लिए ''दस (10)प्रतिशत पेंशन पर दो वर्ष के लिए रोक''के दण्ड प्रस्ताव के साथ द्वितीय कारण पृच्छा करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया।

(iv) सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री राम प्रसाद राम, मुख्य अभियन्ता, सेवानिवृत्त से विभागीय पत्रांक 1408, दिनांक 3 दिसम्बर 2009 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया। श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा के उत्तर की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरान्त पाया गया कि एक करोड़ से उपर के कार्यो की गुणवत्ता की जॉच खगौल संस्थान, पटना से कराने के विभागीय निदेश का अनुपालन आरोपित द्वारा नहीं किया गया है। अतः प्रमाणित आरोपों के लिए श्री राम प्रसाद राम, तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, पूर्णिया सम्प्रति सेवानिवृत्त को निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया हैः–

''दस (10) प्रतिशत पेंशन पर दो वर्ष तक रोक''।

(v) सरकार के उक्त निर्णय में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

(vi) सरकार का उक्त निर्णय श्री राम प्रसाद राम, सेवानिवृत्त मुख्य अभियन्ता को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 656-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in